सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला–अजमेर (राज.)
राजस्व वाद संख्या –18/2018

पीठासीन अधिकारीः–श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. ओमप्रकाश पुत्र भैरूलाल जाति ब्राम्हण
2. सुरेश कुमार पुत्र भैरूलाल जाति ब्राम्हण
3. पुष्पा पुत्री भैरूलाल जाति ब्राम्हण
4. चन्द्रकान्ता पुत्री भैरूलाल जाति ब्राम्हण

निवासीगण पिपलाज तहसील सावर जिला अजमेर

वादीगण

बनाम

1. छोटू पुत्र लादू जाति कुमावत
2. कैलाश पुत्र लादू जाति कुमावत
3. गोविन्द पुत्र हजारी जाति ब्राम्हण
4. गोपाल पुत्र रामकरण जाति गुर्जर
5. रामदेव पुत्र रामकरण जाति कुमावत
6. पदम कुमार घीसालाल जाति जैन महाजन
7. लादू कुमार धन्ना जाति कुमावत
8. गोपाल पुत्र जमना जाति कुमावत
9. मदनलाल पुत्र रामदयाल जाति ब्राम्हण
10. बद्रीप्रसाद पुत्र गंगाधर जाति ब्राम्हण

समस्त निवासीगण पिपलाज तहसील सावर जिला अजमेर

11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सावर जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

12. कैलाशचन्द शर्मा पुत्र भैरूलाल जाति ब्राम्हण निवासी पिपलाज तहसील सावर जिला अजमेर हाल निवासी आर्दश मोहल्ला सूचना केन्द्र के पीछे भीलवाडा जिला भीलवाडा राज.

राज. काश्त. अधिनियम सपठित धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–4.6.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प पिपलाज में पेश हुई। वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित। विवरण निम्न प्रकार है–

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम पिपलाज तहसील सावर के जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स. 94 के खसरा नम्बर 201, 204, 2859/1720, 2860/247, 2861/1757 कुल खसरा नम्बरान किता 5 , रकबा क्रमशः 0.24, 0.32, 0.69, 0.37, 0.43 कुल रकबा 2.05 है. दर्ज रिकॉर्ड है। यह है कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण व अप्रार्थीस. 12 के खातेदारी कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात है। उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में भी भौतिक रूप से प्रार्थीगण व प्रफॉर्मा प्रतिवादी 12 के कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य की है। प्रार्थीगण व प्रफॉर्मा अप्रार्थीगण स. 12 की उक्त वर्णित आराजीयात व अप्रार्थी स. 1 लगायात 10 की आराजीयात के मध्य स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थी स. 1 लगायत 10 के मध्य आराजीयात को काश्त करने को लेकर लडाई झगडा होता रहता है। इसलिये प्रार्थीगण व प्रफॉर्मा प्रतिवादी स. 12 अपनी आराजी का नाप चोप (पत्थरगढी)करवाना चाहता है । अतः वादीगण का दावा स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि वादीगण अपनी स्वयं की आराजी की पत्थरगढी कराना चाहताहै। वादग्रस्त आराजी में पैरोकार सरकार के जवाब एवं पटवारी रिपोर्ट अनुसार जवाब सरकार में उक्त वाद वर्णित आराजीयात वादीगण की स्वयं की आराजीयात होने से वाद पत्र स्वीकार योग्य है।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया । पत्रावली में अप्राथीगण को दिनांक 27.10.2017 को बकाया तलबी हेतु अन्तिम अवसर दिया गया।दिनांक 9.3.2018 को प्रतिवादी स. 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित होने से उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई गयी शेष प्रतिवादी स. 1 से 5 व 7 से 10,12 बावजूद सूचना हाजिर नहीं है। वादीगण की खातेदारी की आराजीयात होने से वादी का प्रेमाफैसाई केस होना पाया जाता है। अतः वादपत्र का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी का दावा अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का वादग्रस्त की भूमि वाके ग्राम पिपलाज तहसील सावर के जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स. 94 के खसरा नम्बर 201, 204, 2859/1720, 2860/247, 2861/1757 कुल खसरा नम्बरान किता 5 , रकबा क्रमशः 0.24, 0.32, 0.69, 0.37, 0.43 कुल रकबा 2.05 है. की पत्थरगढी हेतु वादीगण का दावा स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सावर को वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार शुल्क जमा कर वादग्रस्त भूमि पत्थरगढी कर मौका रिपोर्ट (पालना)मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनाक 04.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्डअधिकारी
केकड़ी